

ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को मान्यता देने हेतु ग्राम पंचायत का प्रस्ताव

प्राप्ति-गिर्द-बहुमत

विठ्ठ०- गिर्द-बहुमत

जनपद-भद्राई

ग्राम पंचायत में दिनोंक २३-७-२०२३ को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहुत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-

१- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनुजाती / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन) उमेर	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाइल नॉ
१	श्री मातृ श्रीनिधि	मुख्यमानी ५५	अध्यक्ष	९४०६९६६३३
२	श्रीपुमार	कोषाध्यक्ष ४८	सचिव	७७०५२०५७५
३	इत्यास	मुख्यमानी ५५	कोषाध्यक्ष	९७९५०९०६५५
४	नन्दनुपटेल	उमेर ५५	सामान्य सदस्य	९७९५९७५६९३
५	सेतोषुमारयात्र	उमेर ५५	सामान्य सदस्य	९५५९५३९७८२
६	हरवत्तेल	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	८१२७६६५४८२
७	पृष्ठ-किंदा	योगी ५५	सामान्य सदस्य	९५५९९७४२३५
८	नसीमतेला	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	९६९६५५००७३
९	वर्चन	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	७०५५१०७१३३
१०	राजेशुमार	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	७३८५९४३७३४
११	राजुमारुपुता	तेला ५५	सामान्य सदस्य	८१२७०३०२४५
१२	राजुमारु	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	८०५१४५६२३५
१३	उमिलादेव	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	७५२३९६४७६६
१४	मिरलेदव	तेला ५५	सामान्य सदस्य	७०१६०३७५३
१५	मुगीश	मुख्यमानी ५५	सामान्य सदस्य	७४६०४१७७९३

२- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

३- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

४- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।



5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।

6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यतानुसार भुगतान करने एवं “Sign Off” हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वयित करने हेतु तकनीकि विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकत किया गया।

7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सेवा सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध प्रत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।

8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध करायें तथा उस सामग्री की गणवत्ता को सनिश्चित करें।

९— ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति का

११- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण सेवा समिति हो।

ग्राम पंचायत में व्यवस्था करिए तो — यहाँ — हैं तो —

ग्राम पचायत पर्यजल एव स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षरः—

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या निरूपण
1	श्रीमति - श्रीमिति	अध्यक्ष	श्रीमति
2	प्रदीप ठुमार	सचिव	
3	इलियास	कोषाध्यक्ष	इलियास
4	नन्दी	सामान्य सदस्य	नन्दी
5	मंतोष ठुमार	सामान्य सदस्य	मंतोष
6	दिलावती	सामान्य सदस्य	दिलावती
7	रिक्की टेली	सामान्य सदस्य	रिक्की
8	नर्सीमतबा	सामान्य सदस्य	नर्सीमतबा
9	बट्टवन	सामान्य सदस्य	बट्टवन
10	राणे श्रीमार	सामान्य सदस्य	राणे
11	श्राज ठुमार राघुन	सामान्य सदस्य	श्राज
12	श्राज ठुमार	सामान्य सदस्य	श्राज
13	उमिला टेली	सामान्य सदस्य	- ३। उमिला
14	किरत इथबी	सामान्य सदस्य	
15	मुण्डरा	सामान्य सदस्य	

